बंगाल राज्यों के परियोजना प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जोधपुर के निकट मथानिया में भारत सरकार, राजस्थान सरकार और बहुपक्षीय विदेशी एजेंसियों की आंशिक वित्तीय सहायता से एक 140 मेगावाट एकीकृत सौर सम्मिलित चक्र विद्युत परियोजना की योजना बनाई गई है।

(ग) और (ड.) निजी क्षेत्र की बहुत सारी इकाईयां विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए, सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय प्रणालियों का उपयोग कर्ते हुए सौर ऊर्जा का दोहन लाने में कर रही है। सौर जल तापन प्रणालियों का उपयोग होटलों, अस्पतालों, डेयरियों, कपड़ा मिलों, खाना बनाने वाली इकाइयों आदि में किया जाता है। सौर शुष्कन प्रणालियों का उपयोग चाय और मसाला इकाइयों द्वारा किया जा रहा है।प्रकशवोल्टीय पंपन प्रणालियों का उपयोग फार्मों, चाय बागानों, और होटलों में किया जा रहा है, कुछ निजी कंपनियों ने भी प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना की है।

सौर ऊर्जा का अनिवार्य इस्तेमाल

4336. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी** : क्या गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि:

(क) क्या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अनिवार्य बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसका कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार पवन ऊर्जा सहित सभी अन्य ऊर्जा स्त्रोतो का उपयोग करने के संबंध में भी विचार रखती है जिससे कि अपारंपरिक ऊर्जा को प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया जा सके; और

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों, विशेषकर गढ़वाल मण्डल मेम पवन ऊर्जा की अनियमित क्षमता का आकलन और उपयोग करने के लिए कोई विशेष परियोजना शुरू करने का है?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) सरकार द्वारा 1992 में गठित एक कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से 1994 में यह अनुरोध किया थाकि वे अपने नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों को, वाणिज्यिक क्षेत्र के होटलों और अस्पतालों में सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य बनाने के लिए भवन-उपनियमों में संशोधन करें। अपारंपरिक उर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने इस मामले को फिर राज्य सरकारों के साथ उठाया। इस संबंध में हरियाणा,हिमाचल प्रदेश,मध्य प्रदेश,राजस्थान और दादरा एंव नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने मुख्य रूप से सरकारी भवनों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए है। कुछ अन्य राज्य सरकारों ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

(ग) सरकार, पवन ऊर्जा सहित विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को सहायता दे रही है। जहां तक पवन विद्युत उत्पादन का संबंध है, आठवीं योजना के अंत तक (मार्च,1997),900 मेगावाट की क्षमता पहले ही स्थापित कर ली गई है। पन-बिजली और बायोमास से ग्रिड किस्म का विद्युत उत्पादन बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है। लगभग 1100 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त की गई है जो आठवीं योजना के दौरान देश में और प्राप्त की गई कुल क्षमता के लगभग 7% के बराबर है। सौर ऊर्जा उपयोग के क्षेत्र में, जल तापन के लिए अब तक लगभग 3,80,000 वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र और दूर-संचार,रेलवे संकेतन आदि के लिए उपयोग के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी व्यवस्था, जल पम्पन और विद्युत की आपूर्ति के लिए लगभग 28 मेगावाट समग्र क्षमता की 3,50,000 से अधिक सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की गई। उपरोक्त के अलावा,अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के पास रोशनी व्यवस्था,तापन और विद्युतीय ऊर्जा के लिए बायोगैस संयंत्र,उन्नत चूल्हा और गैसीफायर के संवर्धन हेतु बड़े-बड़े कार्यक्रम हैं। इन सभी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के इस्तेमाल को बढावा देने के लिए, सरकार ने कई प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं जिनमें उत्पादन शुल्क से छूट,आयातित उपकरणों पर रियायती सीमा शुल्क दरें,कई राज्यों में बिक्री-कर छूट, काफी ज्यादा अवमूल्यन, कर-अवकाश, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त पोषक कम्पनी, इरेडा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से उदार शर्तो पर ऋण,और अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए आकर्षक दरें शामिल हैं।

(घ) गढ़वाल क्षेत्र में पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए अब तक किसी संभाव्यता स्थल की पहचान नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में दो पवन

मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे जिन्हें पर्याप्त पवन संभाव्यता के अभाव के कारण बन्द कर दिया गया था । उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए नौ पवन मोनीटरिंग स्टेशन मंजूर किए गए हैं । प्रारम्भिक स्थल-चयन का कार्य पूरा कर लिया गया है और इन स्टेशनों को जल्दी ही स्थापित किए जाने की संभावना है ।

Private sector participation in non-conventional power project

4337. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether a regional policy for private sector participation in the non-conventional power projects has been formulated by a working group comprising representatives of the North Eastern Council, the Central Government and various States;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the funds anticipated for the non-conventional power projects?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) and (b) A meeting of the North Eastern Council, Ministry of Non-Conventional Energy Sources, State Governments and State Nodal Agencies of North-Eastern States was held at Shillong on 17th April, 1997. In the meeting it was suggested that the North-Eastern Council will get up a Working Group comprising of representatives of North-Eastern Council, MNES and North-Eastern States to formulate a Regional Policy for Private sector participation in non-conventional power projects in those States. North-Eastern Council are yet to set up the Working Group.

(c) Small Hydro Power Projects of 50 MW total capacity have been proposed for the North-Easten States during the 9th Plan, which is under finalisation. Implementation of such a plan, if approved, will require financial assistance from the Ministry of Non-Conventional Energy Sources to the tune of Rs. 150 crores, with the balance funds coming from the respective States.

Integrated rural energy programme

4338. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) the salient features of the Integrated Rural Energy Programme (IREP) of Government;

(b) how it is being implemented in Gujarat, with details;

(c) whether Government have studied the progress made by IREP in the State;

(d) if so, the details thereof; and

(e) whether the programme is giving desired results in the States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) The Integrated Rural Energy Programme (IREP) aims at providing the optimum mix of all types of energy sources for meeting energy needs for subsistence and productive purposes through the preparation and implementation of integrated rural energy plans and projects. The programme has Central Sector and State Sector components. The Central Sector component includes a centrally Sponsored Scheme under which capabilities are developed in State and Union Territories for preparing and implementing integrated rural energy plans and projects. The Centrally Sponsored Scheme provides grant-in-aid for professional and support staff in IREP project cells at the State, District and Block levels and for training of these staff, along with provision for preparation of project reports, and for extension. The State Sector outlay is utilised for the